

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा सकता है।
सम्बन्धित विषय पर यांत्रि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे सुनिश्च हो।



पात्र : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442824
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 11358

दिनांक: ०२/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एस.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुसर, ग्वालियर (0751-2361675) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. नर्सिंग छातीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)
- (2) श्रीमती सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज, ग्वालियर।
- (3) डॉ. मंजू दुबे, आचार्य, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर भुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेदन है कि वे उक्त नियारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण जर्ही करता है तो समिति द्वारा निरस्त हो समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की सत्सुन्दिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए./ डी.ए./ मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय

प्रतिलिपि :-


1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


कुलसचिव


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवस्थाएँ कुलपती विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा सकते हैं। इनके अन्य प्रदायिकातारी के नाम से।
सम्बद्धता विषय पर यदि तूर्त में पञ्च व्यवस्थाएँ तुम्हारे तो एवं फ्रेमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे तिससे ताविधा हो।



ग्राम : गुरुगंगाड़ी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्री : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/5155

दिनांक: 04/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एस.आर. कॉलेज ऑफ बर्सिंग ग्राम खुरेई, मुराद, ग्वालियर (0751-2361675) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैंसिक बी.एस.-सी. बर्सिंग प्रथम वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निर्भावुकार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. महेश प्रकाश, आवार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442779)

(संयोजक)

(2) प्रो. आई.के. बायम, जी.आर.ए.म.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

(3) डॉ. आर.के.एस. धाकड़, जी.आर.ए.म.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

(4) डॉ. टेणुका दास, प्राचार्या, पी.जी. कॉलेज ऑफ बर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से जबुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, घोरों राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रोंफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/शुल्कापति प्रमाण-पत्र, भवन, छीड़ा परिवार एवं पाठ्यक्रम/आईडिलेन्स तथा विषयों के दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रोंफ की विश्विततों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के विर्भावुकार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रत्युत किए जाने हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सदिकों का यह उत्तराधिकार है कि वे अपने महाविद्यालयों के विरीक्षण विधारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय विरीक्षण हेतु तिथि के विर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एन माह तक संयोजक ले सम्पर्क लाही करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बाधित महाविद्यालय का विरीक्षण कर आपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण ने 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन ट्वीकार बटी किया जा सकेगा। जो ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को ट्वीकार किया जा सकेगा।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्राकाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुरिक्षित हो निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मालवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूखनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिनसे के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के द्वारा / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर